

आदेश की  
क्रम सं० और  
तारीख

## आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई  
कारवाई के बारे में  
टिप्पणी तारीख के  
साथ

### प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 05/2019 शम्भु कुमार एवं अन्य वनाम् राम वरत सिंह एवं अन्य आदेश

20/08/19

आवेदकगण शम्भु कुमार, पिता-स्व० वदरी साव एवं रंजीत साव, पिता-स्व० सिद्धेश्वर साव, दोनों ग्राम-इब्राहीमपुर, थाना-किंजर, अंचल-कुर्था, जिला-अरवल ने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि का नापी कराकर चिन्हित करवाने एवं दखल कब्जा दिलाने का अनुरोध किया है। विवादित भूमि निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
33	109	03 डी०+04 डी० कुल-07 डी०	उत्तर-राम वरत सिंह दक्षिण-राम वरत सिंह पूरब-सड़क पश्चिम-राम वरत सिंह

मौजा-चक कमरिया, थाना नं०-118, थाना-किंजर, अंचल-कुर्था, जिला-अरवल वाद की प्रविष्टि की गई। प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

#### वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) विवादित भूमि खाता संख्या-33, प्लॉट नं०-109, रकवा-03 डी० वादी नं० 01 शम्भु कुमार की माँ एवं वादी नं० 02 रंजीत साव की दादी राम प्यारी देवी के नाम से वसीका संख्या-13726 दिनांक 09.08.1971 के माध्यम से निबंधित केवाला से कय की गई है, तभी से शांतिपूर्ण दखल कब्जा होकर अपने सकुनत के अनुसार उपयोग करते हुए राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे है।
- (2) खाता नं०-33, प्लॉट नं०-109, रकवा-04 डी० वादीगण के पूर्वज मोसमात कामद हलवाईन पति-कुलु साव के नाम से हुकुमनामा द्वारा 20 जेठ सन् 1344 फसली को बंदोबस्त है, उक्त हुकुमनामा के आलोक में जमाबंदी रिटर्न दाखिल है जिसका कम्पनेसन केस संख्या-160/08/1954-1955 है।
- (3) वादीगण उक्त वर्णित भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिए सामग्री रखने लगे तो प्रतिवादीगण जमीन पर आये और वादीगण को उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करने से मना किये और धमकी दिया कि यदि निर्माण कार्य करोगें तो जान से मार देंगे।
- (4) वादीगण को प्रतिवादीगण वा-जवरदस्ती उक्त वर्णित भूमि पर निर्माण कार्य नहीं करने देने की मंशा बनाकर उक्त भूमि पर वा-जवरदस्ती दखल कब्जा करना चाहते है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विवादित भूमि की नापी कराने का अनुरोध किया है।

#### प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-

- (1) वादी द्वारा विवादित भूमि पर वाद पत्र के आधार पर 03 डी० केवाला के आधार पर एवं 04 डी० हुकुमनामा के आधार पर दावा की गई है जो कि उक्त दोनों कागजातों की चौहद्दी के

आधार पर लाया गया है।

(2) वादी की भूमि हुकुमनामा जेट 1344 फसली के सादा हुकुमनामा के आधार पर 04 डी० भूमि पर वाद लाया गया है जो धारा 04 (एच) बी० एल० आर० ऐक्ट 1950 में प्रावधानीत की गई है कि 01.01.1946 के वाद का हुकुमनामा कानूनन अवैध है और उक्त हुकुमनामा का कोई कानुनी मान्यता नहीं है।

(3) विवादित प्लॉट का कुल एराजी लगभग 01 एकड़ 60 डी० है उक्त एराजी में से किस दिशा में जमीन खरीद किया गया है उसका उल्लेख वादी द्वारा नहीं किया गया है। वादी का केवाला 1971 की है, 03 डी० जमीन शैयद मो० गुलाम दस्तगीर उर्फ डा० जमील से खरीदने की दावा किया है। उक्त वसीका में पश्चिम के चौहदीदार रैयत का नाम उल्लेख नहीं है।

(4) वादी द्वारा संलग्न की गई राजस्व रसीद 03 डी० का है जबकि दावा वादी के द्वारा 07 डी० पर किया जा रहा है।

(5) वादी द्वारा अंचल अधिकारी, कुर्था के नापी वाद संख्या-02/17-18 लाई गई थी जो यह कहते हुए खारीज किया गया है कि दावा की गई 07 डी० का प्लॉट नहीं है और जिस भूखण्ड को विवादित बतलाया गया है वहाँ 13 डी० का कोई प्लॉट ही नहीं है इस तथ्य को वादी के द्वारा छिपा लिया गया है।

(6) वादी द्वारा रिविजनल सर्वे खतियान संलग्न किया है उसमें भी वादी का नाम नहीं है। यदि वादी का उक्त भूमि पर दखल कब्जा होता तो रिविजन सर्वे में रैयत के रूप में नाम दर्ज होता यद्यपि रिविजनल सर्वे नॉट फाईनल है।

(7) प्रतिवादी संख्या-01 के पिता-रामलाल यादव के नाम से निबंधित वसीका 20.10.1970 से खरीदी भूमि है जो उपरोक्त प्लॉट के पश्चिम उत्तर कोण पर  $6\frac{1}{4}$  डी० वजरीये केवाला से मो० दस्तगीर उर्फ डा० जमील से खरीदकर शांति पूर्वक दखल कब्जा एवं हक अधिकार में चले आ रहे हैं एवं राजस्व का भुगतान करते चले आ रहे हैं।

(8) प्रतिवादीगण का पशु मेला प्लॉट नं०-105, 106, 107, 108 एवं विवादित प्लॉट संख्या-109 के  $6\frac{1}{4}$  डी० अमलगमेटेड प्लॉट पर 40-50 वर्ष पूर्व से मेला लगते चला आ रहा है और प्रतिवादी उक्त मेला का मालिक है। प्रतिवादी के विरुद्ध धारा 145 द० प्र० सं० वाद संख्या 153/1971 में प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी के पक्ष में कब्जा धोषित किया गया है। शम्भु साव के पिता-वदरी साव में शपथ पत्र पर आधारित साक्ष्य में विवादित प्लॉट संख्या-109 सहित प्रतिवादीगण के प्लॉट संख्या-105, 106, 107, 108 पर प्रतिवादी के दखल कब्जा को स्वीकार किया है तथा उपरोक्त प्लॉट पर प्रतिवादी के मेला संचालन के रूप में दखल कब्जा की बात को स्वीकारा है।

(9) वादी एवं प्रतिवादी एक ही भूखण्ड पर दावा एवं प्रतिदावा में काफी जटीलता है, इसमें हकियत जैसी विषय वस्तु समाहित है। बी० एल० आर० ऐक्ट के धारा 04 (5) के तहत किसी भी भूमि पर किसी अन्य को हटाकर बैठाना नापी की परिधि में नहीं आता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारीज किया जाये।

उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित वादीगण द्वारा दाखिल हुकुमनामा एवं रिटर्न तथा वसीका का तथा प्रतिवादी द्वारा दाखिल केवाला, राजस्व रसीद, अंचल अमीन कुर्था का नापी प्रतिवेदन एवं धारा 145 द० प्र० सं० का आदेश का अवलोकन किया। वादी ने


विवादित भूमि 03 डी० पर दावा सैयद मोहम्मद गुलाम दस्तगीर उर्फ डा० जमील, पिता-अफसजल हुसैन उर्फ मोहम्मद जलील से वसीका संख्या-13726 दिनांक 09.08.1971 एवं 04 डी० भूमि पर दावा मो० अजीजन निशा, पति-सईयद शाह मोहम्मद कपील द्वारा 20 जेठ सन् 1344 फसली कम्पनेसन केस नं० 160/08/54-55 के आधार पर किया है जबकि प्रतिवादी वसीका नं०-19880 दिनांक 20.10.70 सयद मोहम्मद गुलाम दस्तदीर उर्फ डा० जमील पिता-अफजल हुसैन उर्फ मो० जलील से रजिस्ट्री के आधार पर दावा कर रहे हैं। अतः अंचल अधिकारी, कुर्था के नापी वाद संख्या-02/17-18 द्वारा अंचल अमीन कुर्था द्वारा नापी प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि सर्वे प्लॉट संख्या-109 जानिब उत्तर से दक्षिण कुर्था, किंजर सड़क एस० एच० 69 वर्तमान में अवस्थित है। उक्त प्लॉट का अंश रोड़ के पश्चिम त्रिभुजाकार अवस्था में मात्र  $82 \times 66 \times 1/2 = 2706$  वर्गफीट =  $425.6 = 6.212$  डी० जमीन मौजूद है जबकि दोनों पक्षों द्वारा 13 डी० का कागजात दिखाया जा रहा है जिसे दोनों पक्षों का दावा के अनुसार रकवा पुरा नहीं होता है।

धारा 145 द० प्र० सं० वाद संख्या-153/1971 में न्यायालय श्री सी० एन० तिवारी फस्ट क्लास मजिस्ट्रेट जहानाबाद द्वारा वाद में द्वितीय पक्ष के पक्ष में कब्जा धोषित किया है जबकि वादी के पिता वदरी साव के द्वारा उक्त वाद में साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की बात कही है जिसका साक्ष्य प्रतिवादी द्वारा वाद में उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकार उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा अंचलाधिकारी, कुर्था के मापी प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों द्वारा मिलाकर जितनी भूमि पर दावा किया जा रहा है स्थल पर उतना रकवा की भूमि नहीं है। द्वितीय पक्ष का केवाला प्रथम पक्ष के केवाला से पूर्व का है। ऐसी स्थिति में इस वाद का विषय स्वामित्व से संबंधित प्रतीत होता है जो कि सक्षम न्यायालय के अधिकारिता का है। अतः वाद को खारीज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित



प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता  
अरवल।



प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
अरवल।